तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/1883/2006/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम रामफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री शोकिन्द लाल गूर्जर, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

––

आदेश
दिनांक 18–10–19

यह रेफरेंस जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31–01–2006 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बौली ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कराडी की आराजी खसरा नं0 26 रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा गैर मु0 तलाई के रूप में जमाबंदी सं0 2010 से 2013 में अभिलिखित थी तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया व आवंटन की पालना में नामा0 सं0 296 दिनांक 16–07–91 से गैर खाातेदारी व नामान्तरकरण सं0 346/10–08–96 से खातेदारी बहक अप्रार्थी रामफूल पुत्र रामपाल के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त आराजी जरिये नामा0 सं0 351 दिनांक 07–04–97 विक्रय से अप्रार्थी ग्यारस्या पुत्र कौरया गूजर के नाम से दर्ज अभिलेख है,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/1883/2006/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम रामफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जो अनियमित होने निरस्तनीय है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार 15–08–1947 की स्थिति को यथावत रखा जाना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में अवैध आवंटन के आधार पर खातेदारी प्रोद्भूत वर्जित भूमियों के संबंध में उपरोक्त वर्णित आवंटन व आवंटन की पालना में तस्दीक किए गए नामान्तरकरणों को निरस्त किया जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने इसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–01–2006 द्वारा यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया है। मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। चूँकि विवादित भूमि की किस्म राजस्व अभिलेख से गैर मु0 तलाई होना स्पष्ट है जो कि जलीय निकाय (water body) की भूमि है व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि है तथा विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है एवं उक्त भूमि पर विपक्षी को खातेदारी अधिकार भी प्रोद्भूत नहीं होते है। उक्त कार्यवाही डी0बी0 सिविल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/1883/2006/सवाईमाधोपुर सरकार बनाम रामफूल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जनहित याचिका सं0 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 के परिपेक्ष्य में अविधिक है। अतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या क्रमशः 296 दिनांक 16–07–91 गैर खातेदारी का व नामान्तरकरण सं0 346 दिनांक 10–08–96 खातेदारी का बहक अप्रार्थी रामफूल पुत्र रामपाल एवं नामान्तरकरण सं0 351 दिनांक 07–04–97 बहक ग्यारस्या निरस्त किए जाते है तथा विवादित भूमि को सिवाय चक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मु0 तलाई के रूप में राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की सूचना विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता को दी जावे। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	